Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025

UGC CARE I

भारत में सुशासनः पहल, चुनौतियाँ एवं सुझाव

डॉ0 इम्तियाज अहमद
सहायक आचार्य, लोक प्रषासन
राजनीति षास्त्र एवं लोक प्रषासन विभाग,
डॉ0 षकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास
विष्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सारांशः

सुषासन एक बहुआयामी अवधारणा है जो बेहतर षासन–प्रषासन की ओर इंगित करता है। देखा जाय तो यह अवधारणा विष्व बैंक की एक रिपोर्ट के प्रकाषित होने के बाद उभर कर आया, तत्तपष्चात् अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राजनैतिक, प्रषासनिक एवं अकादमिक क्षेत्र में इस पर चर्चा–परिचर्चा का दौर आरम्भ हुआ। भारत में देखे तो प्राचीनकाल में राम राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है और स्वतन्त्रता के पष्चात् भारतीय संविधान के भाग–3 व 4 को एक साथ मिलाकर पढ़ने से सुषासन व मानवाधिकार दोनों की छाप उभर कर आती है। अतः हम कह सकते हैं, कि सुषासन की अवधारणा हमारे लिए नई नहीं है बल्कि उन्हीं बातों को नए कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत षोध पत्र में षोध कर्ता द्वारा द्वितीय श्रोतों एवं वर्णनात्मक एवं विष्लेषणात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है। इस षोध पत्र में सुषासन का अर्थ–परिभाषा तथा सुषासन की प्रमुख विषेषताओं को बताने के साथ ही इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में विचार किया गया है। सुषासन के मार्ग के अवरोधों को कैसे दूर किया जाए इस हेतु कुछ उपयुक्त सुझाव भी प्रस्तुत किया गया है

मुख्य शब्दः

सुषासन, पारदर्षिता, उत्तरदायित्व प्रभावषीलता एवं अनुक्रियाषीलता, भ्रष्टाचार, साम्यता, समावेषीकरण, सामाजिक अनुकेक्षण, नागरिक चार्टर, जवाबदेही, भागीदारी, विधि का षासन, राजनीतिक अपराधीकरण, पूँजीपति, ई–अभिषासन।

प्रस्तावना

सुशासन या अच्छा अभिशासन मौजूदा दौर के सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय संप्रत्ययों में से एक है जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दक्ष, प्रभावशाली, पारदर्शी, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी प्रशासन से जोड़ कर देखा जाता है। आमव्यक्ति के नजरिए से देखें तो सुशासन में एक ऐसी व्यवस्था तथा प्रक्रिया का विचार निहित है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आदि से जुड़ी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाता है। सुशासन की अवधारणा मुख्य रूप से 1990 के दशक में विकसित हुई जब शासन को समावेशी स्वरूप प्रदान करने और इसे अधिकाधिक लोकोन्मुखी बनाने की कोशिश शुरू हुई। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

वह खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। सुशासन, शासन से गुणात्मक दृष्टि से अलग और आगे की चीज है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैधानिकता और साख में बढ़ोत्तरी होती है। इसके मूलतत्वों में राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता की उपलब्धता, कानूनी बाध्यता, सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जा सकता है। सुशासन को विभिन्न विद्वानों तथा संस्थाओं ने अपने–अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। विवके चोपड़ा के अनुसार समाज के मूलभूत मूल्यों को बिना द्विअर्थों व भ्रम के पहचानना और उन्हें प्राप्त करना सुशासन है।[1] जेफरीज के विचार में अच्छा अभिशासन उद्देश्यपरक तथा विकासोन्मुखी प्रशासन से संबंधित होता है जो व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को संवर्धित करने के प्रतिप्रतिबद्ध होता है।[2] प्रोफेसर ओ. पी. मिनोचा ने सुशासन को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि सुशासन का संबंध शासकीय नवीन मूल्यों को आत्मसात करने से है जिससे और अधिक दक्षता, वैधानिकता और व्यवस्था की साख स्थापित की जासके। साधारण शब्दों में सुशासन को नागरिकों का मित्र, नागरिकों की देखभाल करने वाला तथा संवेदनशील प्रशासन कहा जा सकता है।[3]

सुशासन की विशेषताएं

सशक्तिकरण, भागीदारी, पारदर्शिता, समता तथा न्याय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जीवन सुशासन का मुख्य ध्येय है। इसके लिए इसमें शासन के विभिन्न उपकरणों और प्रक्रियाओं के जरिए व्यवस्था को गतिशील बनाने पर जोर दिया जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्तराष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने सुशासन की आठ महत्वपूर्ण विषेषताओं का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं[4]–

1. **भागीदारी**– सुशासन या अच्छा अभिशासन भागीदारी पर आधारित शासन है जिसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों ही या तो प्रत्यक्ष या वैध मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करते हैं।
2. **विधि का शासन**– विधि का शासन सुशासन की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। सुशासन के लिए निष्पक्षतापूर्वक लागू होने वाले स्पष्ट विधिक प्रारूपों के साथ ही मानवाधिकारों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण आवश्यक है।
3. **पारदर्शिता**– पारदर्शिता से अभिप्राय नियम और विनियमों का पालन करते हुए निर्णय करना तथा उसे लागू करना है। षासन एवं प्रषासन को सौंपे गये कार्यों को बिना भेद–भाव के खुलापन के साथ करना जिससे जनता को सरकार के द्वारा उठाये गये कदमों का पता चलता रहे।
4. **अनुक्रियाशीलता**– सुशासन हेतु यह आवश्यक है कि संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं द्वारा सभी पण्यधारकों को तर्कसंगत समय में सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। यह न सिर्फ शासन को उत्तरदायी बनाने हेतु आवश्यक है बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाने में मदद मिलती है।
5. **मतैक्योन्मुखता**– सुशासन सम्पूर्ण समाज के हित में कर्ताओं और विचार बिंदुओं के मध्य मध्यस्थता करते हुए एक व्यापक सहमति पर पहुँचने और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

6. **साम्यता और समावेशीकरण**– सुशासन समाज की बेहतरी के लिए इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसके सभी सदस्य समाज में अपनी हिस्सेदारी महसूस करें और किसी को भी यह न लगे कि वह समाज की मुख्यधारा से अलग है।
7. **प्रभाविता और दक्षता**– सुशासन उपलब्ध संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करते हुए प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं द्वारा समाज की जरूरतों के अनुरूप परिणाम प्रदान करता है।
8. **उत्तरदायित्व**– उत्तरदायित्व सुशासन की अहम जरूरत है। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि संगठन आम लोगों तथा अपने संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह हो।

भारत में सुशासन संबंधी पहल

भारत में सुशासन की संकल्पना संविधान के मूल्यों व दर्शन से जुड़ी हुई है। संविधान की प्रस्तावना समेत इसके विभिन्न खंडों व अनुच्छेदों में वर्णित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय व लोकतंत्र आदि विषयक प्रावधान वास्तव में सुशासन को ही स्थापित करते हैं। इन्हीं प्रावधानों व मूल्यों से प्रभावित होकर आजादी के बाद से ही भारत में सुशासन को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें 1990 के दशक और उसके बाद के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 1996 में मुख्य सचिवों के सम्मेलन तथा 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जताना और 'प्रभावशाली तथा अनुक्रियाशील प्रशासन के लिए एजेंडा' के नाम से दस्तावेज तैयार करना हो या 2005 में 'सूचना का अधिकार' कानून का क्रियान्वयन अथवा सुशासन हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना का निर्णय, भारत में सुशासन की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं।[5] भारत में सुशासन संबंधी हालिया प्रयासों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत दर्शा सकते हैं–

1. **सूचना का अधिकार कानून**– सूचना का अधिकार कानून सुशासन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी संगठनों में पारदर्शिता तथा खुलापन लाते हुए उन्हें लोगों के प्रति अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना है। भारत में सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी नागरिक केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, नगर निगम समेत केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी उपक्रमों व विधायिका तथा न्यायपालिका से सूचना मांग सकता है। इतना ही नहीं, मांगी गई सूचना नहीं मिलने या उससे सूचना से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति ऊपर के अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है। इस अधिनियम में ही उल्लंघनकर्ता लोकसूचना अधिकारी को दंडित करने की भी व्यवस्था की गई है।[6]

2. **सामाजिक अंकेक्षण**– भारत में सामाजिक अंकेक्षण सुशासन संबंधी एक नवाचार है जिसे प्रत्यक्षतः स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में पारदर्शिता लाने तथा जनसहभागिता निभाने के आंदोलन से लोक प्रियता मिली है। सामाजिक अंकेक्षण में चूँकि स्थानीय लोग स्वयं सरकार या शासन के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं अतः इससे न सिर्फ

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

पारदर्शिता, स्थानीय लोकतंत्र व सुशासन को बल मिलता है बल्कि यह प्रक्रिया सामूहिक निर्णय और साझा उत्तर दायित्व को भी बढ़ावा देती है। जैसे–जैसे 'जनता के लिए शासन' की बजाए 'जनता के साथ शासन' के विचार का प्रसार होगा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का भी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में विस्तार देखने को मिलेगा।[7]

3. **नागरिक घोषणा पत्र**– नागरिक घोषणा पत्र जनता के प्रति, विशेष तौर पर सेवा उपभोक्ता के प्रति प्रशासन के उत्तरदायित्व का एक नवीन रूप है। यह मानक, गुणवत्ता और सेवा प्रदायगी हेतु समय सीमा के साथ ही शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करता है।[8] भारत में नागरिक घोषणा पत्र का प्रारूप वैसे तो मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है लेकिन इसमें 'ग्राहकों से अपेक्षा' का एक अतिरिक्त घटक भी शामिल है।[9]
4. **ई–अभिशासन**– भारत में शासन को अधिक से अधिक बेहतर बनाने हेतु ई–अभिशासन की दिशा में लंबे समय से प्रयास किये जा रहे हैं। 1990 के दशक के मध्य में लोक केंद्रित सेवाओं पर बल के साथ वृहत्तर क्षेत्रीय अनुप्रयोगों के लिए ई–अभिशासन के प्रयोग ने भारत में ई. शासन के क्षेत्र में एक नए युग के सूत्रपात का मार्ग प्रशस्त किया तो वहीं 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना में ई–अभिशासन से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल करते हुए 27 मिशन मोड परियोजनाओं की शुरूआत की गयी। इस कार्य में सन् 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा 2005 में लाए गए सूचना अधिकार कानून ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में ई–अभिशासन की दिशा में नवीनतम पहल सन् 2015 में प्रारंभ राष्ट्रीय ई–अभिशासन परियोजना 2.0 ई–अभिशासन को एक नए स्तर पर ले जाने की कवायद है, जिसमें सभी नई और संचालित की जा रही ई–अभिशासन परियोजनाओं के साथ ही मौजूदा परियोजनाओं का पुनरुत्थान किया जा रहा है।[10]

भारत में सुशासन के सम्मुख उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ

भारत में सुशासन की दिशा में लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी है। संरचनागत, प्रक्रियागत तथा विधायी प्रयासों के माध्यम से सरकार स्थिति को बेहतर बनाने हेतु जो प्रयास कर रही है वह विभिन्न कारणों से अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण जो सुशासन के मार्ग में अवरोध बनकर खड़े हैं जो निम्नवत हैं–

भ्रष्टाचार– भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है– भ्रष्टआचार अथवा भ्रष्टव्यवहार। लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार से तात्पर्य किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद, सत्ता या स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक या अन्य प्रकार का लाभ उठाना है। भारत में शासकीय भ्रष्टाचार के दीमक ने शासन के प्रत्येक स्तर को खोखला कर दिया है, जिससे जनकल्याण से संबंधित योजनाओं समेत तमाम लोक केंद्रित पहलों का लाभ आम लोगों

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025

तक पहुंचने में समस्याएं आ रही हैं। यह भारत में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के मार्ग में अकेली सबसे बड़ी बाधा है।

खर्चीली और समय साध्य न्याय व्यवस्था– सुशासन न्याय की बुनियाद पर खड़ा है। सुशासन के लिए आवश्यक है कि लोगों को त्वरित और वहनीय शुल्क पर न्याय प्राप्त हो जिससे न्यायिक प्रक्रिया में उनकी आस्था बनी रहे। दुर्भाग्यवश भारत में स्थिति इसके ठीक विपरीत है। यहां एक तरफ तो बहुत से लोगों को अपने अधिकारों की ही जानकारी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो अपने अधिकारों से परिचित हैं और न्यायिक व्यवस्था के सहारे उसे हासिल करना चाहते हैं वह भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलता, खर्चीलेपन और लेटलतीफी से परेशानहैं।

हिंसा की संस्कृति– हिंसा की संस्कृति सुशासन के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियोंमें से एक है। इसके कारण सरकार का ध्यान आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की बजाय लोगों की सुरक्षा और संरक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित हो जाता है। हिंसा तथा आतंकवाद की वजह से न सिर्फ संबंधित क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बनता है जिससे निवेश और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं बल्कि सरकार को भी लोक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा संरचनात्मक विकास के मद में खर्च की जाने वाली धनराशि हिंसा की रोकथाम और आतंकवाद से निपटने हेतु इंतजाम करने में खर्च करनी पड़ती है।

राजनीतिज्ञ, अपराधी व पूंजीपति गठबंधन– भारत में पिछले कई दशकों से राजनीतिज्ञ, अपराधी व पूंजीपति गठबंधन सुशासन के मार्ग में अवरोध पैदा करता आ रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूंजीपतियों और अपराधियों का सहयोग लेने वाले राजनेता चुनाव जीतने के बाद जहां पूंजीपतियों के पक्ष में नीति–निर्माण, टैक्स छूट, आर्थिक–व्यापारिक भ्रष्टाचार की अनदेखी आदि जैसे कार्यों के जरिये उनकी मदद करते हैं, वहीं अपराधियों को लाभ पहुंचाने हेतु अपराधियों के पक्ष में पुलिस पर दबाव बनाने, उनके केस को कमजोर करवाने और उन्हें राजनीतिक संरक्षण देने जैसे कार्य करते हैं।

बढ़ती आबादी– बढ़ती आबादी के कारण देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ता जा रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में प्राप्त की गई हमारी उपलब्धियां फीकी पड़ने लगी हैं। यह बढ़ती आबादी के कारण चरमराई व्यवस्था का ही नतीजा है कि छोटे शहरों, कस्बों तथा गांवों से हर रोज हजारों की संख्या में लोग बेहतर चिकित्सा, शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों की तलाश में बड़े शहरों में आ रहे हैं, जिससे इन शहरों में भी स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवासन, जलापूर्ति, सड़क, बिजली आदि सुविधाओं की स्थिति बिगड़ने लगी है। इसका शासन की प्रभाविता पर असर पड़ रहा है और प्रशासन को जनआकांक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं।

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 2 – 2025
UGC CARE I

निष्कर्ष एवं सुझाव

सुशासन के सम्मुख उपस्थित उपरोक्त चुनौतियाँ यद्यपि गंभीर हैं लेकिन सही रणनीति और ईमानदारी के साथ काम करने पर इनका हल तलाषा जा सकता है। इसके लिए राज्य की भूमिकाओं को सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक सेवाओं, अवसंरचना निर्माण आदि क्षेत्रों में मजबूत और युक्ति संगत बनाने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिक तथा प्रबंधन तकनीक के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय जितनी अधिक सुविधाएँ ऑनलाइन मिले वह सही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक काम की जवाबदेही तय करना, कार्य में पारदर्षिता सुनिष्चित करना और परिवेदना निवारण तंत्र को अधिक अनुक्रियाषील व सक्रिय बनाना भी बेहद जरूरी है। हमारे देष में एक ही काम के लिए कई संगठनों के जिम्मेदार होने तथा संस्थाओं के कार्यों के मध्य तालमेल नहीं होने के कारण प्रायः सरकारी कार्यों में समय, श्रम तथा संसाधनों का अपव्यय होता है, लिहाजा संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक सुधारों पर भी विषेष ध्यान देना होगा। सुषासन को बढ़ावा देने हेतु सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता, इसके लिए नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ भी मिलाकर काम करना होगा जो कि अपेक्षाकृत अधिक जमीनी जुड़ाव के कारण धरातल पर षासकीय योजनाओं के क्रियांवयन, लोगों की जरूरतों तथा प्रषासनिक सीमाओं को लेकर बेहतर प्रतिपृष्टि देने वाली होती हैं। यह अकारण नहीं है कि लोक प्रषासन के क्षेत्र में अभिषासन अर्थात गवर्नेंस की संकल्पना में नागरिक समाज को अनिवार्य घटक माना गया है। भारत में अभिषासन की संकल्पना को गति प्रदान कर सुषासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Subhas C. Kashyap (Ed.) Crime, Corruption & Good Governance, UPPAL, 1997, p.113
2. Jeffreis, Richards, Urban Population Attitudes Towards the Economic Recovery Programme and PNDC Government in Ghana, Journal of African Affairs, Vol. 91, 1992, pp.207-226
3. Gupta, Sunil & Singh, Kamal Kumar, Sushasan, National Book Trust, 2012, p.3
4. What is good governance? https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
5. Dubey, Ashok kumar, Ikisvi Shatabdi mein Lok Prashasan, Tata Mc Graw-Hill Publishing Company Limited, 2008, p.118
6. Lohiya, Atul & Chandra, Manish, Nitishastra, SatyanishthaewamAbhiruchi, Prabha Publications, 2014,pp.281-282
7. Ibid, pp.333-335
8. CITIZEN'S CHARTER, https://goicharters.nic.in/chartermain.htm
9. Lohiya, Atul & Chandra, Manish, Nitishastra, Satyanishtha…, op.cit.,p.295
10. http://www.egyankosh.ac.in/handle/123456789/9155

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved